

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 47/2022

इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री अजय गुप्ता, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं० 15, 6th फ्लोर, इंस्टीटूशनल एरिया, सेक्टर 44, गुरुग्राम, हरियाणा 122002 तथा शाखा कार्यालय पहली मंजिल बी 21, रामा कॉम्प्लेक्स, मान नगर, झुंझुनू 33001 (राज०) मे स्थित कार्यरत है।

— प्रार्थी बैंक

बनाम

1. श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी श्री शेर सिंह आल्हा, पता वार्ड नं. 10, जोगेन्द्र निवास, पोस्ट ऑफिस के पास बगड़, जिला झुंझुनू-333023 (राज०)
2. श्री शेर सिंह आल्हा पुत्र श्री बजरंगलाल, पता वार्ड नं. 10, जोगेन्द्र निवास, पोस्ट ऑफिस के पास बगड़, जिला झुंझुनू-333023 (राज०)

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

1. एडवोकेट श्री उम्मेद सिंह- प्रार्थी की ओर से
2. एडवोकेट श्री विकास बुडानिया- अप्रार्थी सं० 1 लगायत 2 की ओर से।

आदेश

दिनांक 28.09.2022

प्रार्थी इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कम्पनी ने ऋणी/सह ऋणी श्रीमती सुमित्रा देवी व शेर सिंह आल्हा को सम्पत्ति के विरुद्ध ऋण राशि रुपये 3,40,000/- (अक्षरे तीन लाख चालीस हजार रुपये) ऋण/सुविधा स्वीकृत किया था। इस हेतु ऋणी/सह ऋणियों ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। उक्त ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है-अचल संपत्ति पट्टा सीरियल नं. 138/1599, वार्ड नं० 10, पोस्ट ऑफिस के पास बगड़, तहसील व जिला झुंझुनू राजस्थान मे स्थित है जो श्री शेरसिंह आल्हा पुत्र श्री बजरंग लाल व श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी श्री शेरसिंह आल्हा के नाम से है जिसका कुल क्षेत्रफल 128.95 वर्गगज है। ऋण की अदायगी हेतु गारन्टी के रूप मे ऋणी/सह ऋणियों ने आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके उक्त सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से साम्यिक बंधक किया है। प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान मे चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने मे असफल होने पर ऋणी के खाते को धारिणी के द्वारा नियमानुसार दिनांक 23.03.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (NPA) के रूप मे वर्गीकृत कर दिया गया था। कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 13.04.2021 को मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के

जिला कलक्टर झुंझुनू

अन्तर्गत रजि0 डाक से दिनांक 21.04.2021 को मांग नोटिस प्रेषित कर एवं उसका प्रकाशन दो समाचार पत्रों जयपुर ब्यूरो एवं प्रभात अभिनन्दन (हिन्दी) में दिनांक 03.08.2021 को प्रकाशित कर बकाया राशि रूपये 3,82,395.23/- (अक्षरे तीन लाख बियासी हजार तीन सौ पिचानवे रूपये और तेईस पैसे) दिनांक 30.04.2021 तक एवं इसके पश्चात् के ब्याज व खर्च अतिरिक्त का भुगतान 60 दिवस के भीतर करने की मांग की गई थी परन्तु ऋणी/सहऋणी द्वारा 60 दिवस की अवधि के अन्तर्गत यह मांग पूरी नहीं की गई। कम्पनी को सम्पत्ति के विरुद्ध खाते मे राशि रूपये 3,82,395.23/- (अक्षरे तीन लाख बियासी हजार तीन सौ पिचानवे रूपये और तेईस पैसे) दिनांक 30.04.2021 तक एवं इसके पश्चात् के ब्याज व खर्च अतिरिक्त ऋणी/सह ऋणियों से लेना है। बकाया राशि को वसूल करने के लिए कम्पनी को उपरोक्त वर्णित गिरवीकृत परिसम्पत्ति अचल सम्पत्ति का कब्जा लेकर बिक्री करनी है। श्रीमान् को उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति को अपने कब्जे/नियंत्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार (कम्पनी) को सुपर्द करने का अधिकार प्राप्त है। सम्पत्ति का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है। इस हेतु अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत आपकी सहायता हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। गिरवीकृत संपत्ति जो कि आपके क्षेत्राधिकार मे है का पता निम्न है अचल संपत्ति पट्टा सीरियल नं. - 138/1599, वार्ड नं. 10, पोस्ट ऑफिस के पास बगड़, तहसील व जिला झुझुनूं राजस्थान मे स्थित है, जो श्री शेरसिंह आल्हा पुत्र श्री बजरंग लाल व श्रीमति सुमित्रा देवी पत्नी श्री शेरसिंह आल्हा के नाम से है जिसका कुल क्षेत्रफल 128.95 वर्गगज है। अतः प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र की मद संख्या 10 मे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा उपरोक्त बिन्दुओं के अन्तर्गत एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/सह ऋणियों से प्रार्थी कम्पनी को दिलाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी कम्पनी का ऋण नहीं चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी कम्पनी द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा कम्पनी को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

वकील अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान निवेदन किया कि कोरोना के चलते अप्रार्थीगण समय पर ऋण अदा करने मे असमर्थ रहे है। अप्रार्थीगण को ऋण चुकाने हेतु समय प्रदान किया जावे।


पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकारकिया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्न्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पत्ति अप्रार्थी श्री शेरसिंह आल्हा पुत्र श्री बजरंग लाल व श्रीमति सुमित्रा देवी पत्नी श्री शेरसिंह आल्हा के मालिकाना हक की अचल संपत्ति प्रोपर्टी अचल संपत्ति पट्टा सीरियल नं.


जिला कलेक्टर झुझुनूं

57

38/1599, वार्ड न. 10, पोस्ट ऑफिस के पास बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं राजस्थान जिसका कुल क्षेत्रफल 128.95 वर्गगज स्थित भूमि व निर्मित सम्पत्ति का पजेशन प्रार्थी इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी इण्डिया शेल्टर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावे।

आदेश आज दिनांक 28.09.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं